सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 198.202 करोड़ रुपए दिए गए थे।

(ख) इन योजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, उप-मिशनों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था जिनमें 19326 स्वच्छ पेयजल सुविधा न प्राप्त और 23339 आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों को लाभ मिला।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशेष धनराशि की मांग नहीं की गई है। तथापि, 1997-98 के लिए 8817.0 लाख रुपए के आवंटन की तुलना में 4408.05 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के लिए 537.04 लाख रुपए की सहायता की मांग की है। केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत अग्रिम सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

(घ) राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन और मांडला जिलों के लिए दो परियोजना प्रस्ताव भेजे गए थे। इन परियोजना प्रस्तावों को क्रमशः 773.65 लाख रुपए और 450.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया गया है।

बेरोजगारी/अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना

2428. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :**
श्री अजीत जोगी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में उन ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें रोजगारी और अल्प रोजगार विद्यमान हैं; और

(ख) क्या सरकार इन पिछड़े राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) और (ख) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए विशेष कार्य योजना को तैयार करने हेतु 100 सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों के चयन के लिए मानदंडों की सिफारिश करने के वास्ते एक समिति गठित की गई है। इस समिति की पिछली बैठक 22 जुलाई, 1997 को हुई थी।

Central sponsored scheme under APMC Act, in Gujarat

2429. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 171 Agricultural produce Marketing Committees were set-up in Gujarat under APMC, Act, 1963 which was in operation till 31st March, 1992;

(b) whether it is a fact that the Government of Gujarat has approached the Union Government for the revival of the Central Sponsored scheme under the Act;

(c) if so, the decision taken by Government thereon; and

(d) the financial assistance proposed to be given for this purpose to the state Government during the current year and in further?